



इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान  
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004  
ईपीएबीएक्स 2706577-78, 2702784 फ़ैक्स 0141-2706575  
E-mail: [igprgvs@sancharnet.in](mailto:igprgvs@sancharnet.in)

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर, हॉस्टल एवं चौपाल  
भवन में सफाई व्यवस्था का कार्य

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 400 /- रुपये

निविदा की अवधि : एक वर्ष

कार्य की अनुमानित लागत : 10,00,000/-

अमानत राशि : 20,000/-

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 16.9.2015 दोपहर 12.00 बजे

निविदा खोलने की तिथि : 16.9. 2015 दोपहर 4.00 बजे

2

## इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान )

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

### संस्थान परिसर, हॉस्टल एवं चौपाल भवन की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्तें

1. निविदाकार को एक सीलबन्द लिफाफे में बन्द करके बक्से में डालनी होगी । निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, सरकार/ स्वायत्तशासी संस्थान में गत तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा फर्म के बैंक खाते का विवरण सहित गत एक वर्ष के अन्दर 3,00,000 रुपये टर्न ओवर की बैंक स्टेटेमेन्ट की प्रति लगाया जाना आवश्यक होगा। अमानत राशि रु. 20,000/-नकद/बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट जो इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के नाम देय होगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होगी जो उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदादाता अथवा सेवादाता को सर्विस टेक्स नम्बर एवं पैन नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता/सेवादाता अथवा उसके प्रतिनिधि संस्थान के प्रभारी अधिकारी, सफाई एवं प्रभारी अधिकारी के सेवाएँ संतोषप्रद होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ सामुहिक निरीक्षण करके प्रतिदिन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसी के आधार पर मासिक बिल का भुगतान किया जावेगा। अनुमोदित प्रदायकर्ता द्वारा उपयुक्त गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किये जाने पर मासिक बिल में आनुपातिक कटौति की जावेगी, जिसमें महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
5. निविदादाता द्वारा वर्तमान में चल रहे कार्य के कार्य स्थलों/कार्यालयों की सूची भी संलग्न करें ताकि आवश्यकता पडने पर उन कार्यालयों का अवलोकन किया जा सके ।
6. यदि किसी सफाई कर्मचारी की लापरवाही से संस्थान की किसी चल एवं अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होती है अथवा संस्थान में चोरी की कोई वारदात होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का होगा तथा जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति अनुबन्धकर्ता फर्म को करनी होगी।
7. सफाई कर्मचारियों की लापरवाही अथवा कर्तव्योपेक्षा के कारण होने वाली क्षति का मूल्यांकन संस्थान प्रशासन द्वारा किया जावेगा, जो कि अनुबन्धकर्ता फर्म को निर्विवाद रूप से मानना होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान के कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभांती करके ही निविदा प्रपत्र में दरे अंकित करें ।

2

- 9 निविदादाता द्वारा श्रम कानून के नियमों का पालन करना होगा। मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- 10 निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जाये। किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राइटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट -छांट ओवर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।
- 11 फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा संस्थान को लिखित में दी जावेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी संस्थान से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 12 निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में, संस्थान के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।
- 13 निविदादाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त संस्थान को मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 14 अनुबन्धकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रैक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगा।
- 15 अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक के लिए होगी। परस्पर सहमति से अवधि कम की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- 16 संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।
- 17 निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) के रूप में 20,000/- रुपये की राशि नकद अथवा महा निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जावेगी।
- 18 बयाना (अग्रिम राशि) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा—
  1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) उपान्तरित कर देता है,
  2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता,

2

3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता या
  4. जब निर्धारित समय में सफाई व्यवस्था प्रारंभ करने में विफल रहता है।
19. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/-रु नांन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्ता को 5 प्रतिशत की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में संस्थान में नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबन्ध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के दो माह उपरान्त वापस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  20. करार के पूर्ण किए जाने तथा टाईपिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

**विशेष शर्तें:-**

- 21 संस्थान परिसर एवं हॉस्टल परिसर में स्थित कमरे, बाथरूम, आडिटोरियम, लॉन, सड़क एवं स्टेण्ड आदि की सफाई एवं चौपाल परिसर में स्थित कमरे, लॉन एवं यह भी सुनिश्चित करले कि कहीं जाले तो नहीं है आदि का कार्य प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे तक पूर्ण करनी होगी। तदुपरान्त दुबारा सफाई का कार्य 2 बजे तक किया जावेगा। सफाई व्यवस्था कार्मिको को प्रशिक्षण अवधि तक रूकना होगा। तथा शेष दिवस में 6 बजे तक रूकना आवश्यक होगा।
- 22 सफाई का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सफाई कार्य का अवलोकन करवाया जावेगा। अवकाश के दिन भी सफाई कार्य करना होगा। दोपहर के समय भी आवश्यकतानुसार भवन एवं आडिटोरियम की सफाई का कार्य संस्थान के निर्देशानुसार करना होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी समय संस्थान परिसर में कहीं भी सफाई करने हेतु विशेष रूप से कहा जा सकता है जिसको करने के लिए अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।
- 23 सफाई कार्य में काम आने वाले किसी भी प्रकार के सामान फर्नीचर, मशीनरी एवं उपकरण संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे। उक्त सामान ठेकेदार को अपनी कीमत पर प्रयोग में लाना होगा। फर्म द्वारा वेक्यूम क्लीनर के उपयोग लेने पर संस्थान द्वारा बिजली निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
- 24 संस्थान एवं हॉस्टल परिसर के प्रत्येक कमरा, फर्श, सीढ़ियां, रेलिंग, छत एवं शौचालय इत्यादि की सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन की जावेगी जिसमें आवश्यकतानुसार उपकरण, साबुन, फिनाईल, एसीड एवं अन्य आवश्यक कैमिकल्स का प्रयोग करना होगा। सफाई में उपयोग में लिये जाने वाले सामान का व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
- 25 संस्थान, चौपाल एवं हॉस्टल के शौचालय व बाथरूम की सफाई विशेष रूप से फिनाईल डालकर प्रतिदिन करनी होगी। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान संस्थान परिसर में स्थित शौचालय की सफाई हेतु एक सफाई कर्मी को सम्पूर्ण प्रशिक्षण



- अवधि के दौरान उपस्थित रहकर आवश्यकतानुसार 4-5 बार फिनाईल से सफाई करनी होगी।
26. निरीक्षण के समय यदि कोई सफाई कार्मिक माह में तीन बार उपस्थिति नहीं पाया जाता है तो सफाई के मासिक बिल में से प्रति कार्मिक 10 प्रतिशत की कटौती की जावेगी।
  27. संस्थान एवं हॉस्टल भवन के कमरों में लगी हुई कारपेट की सफाई कम से कम सप्ताह में एक बार आधुनिकतम सफाई यंत्रों जैसे वैक्युमक्विलनर आदि से करनी होगी।
  28. संस्थान एवं हॉस्टल भवन की दीवारों, खिड़कियों के कांच, दरवाजों की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी।
  29. सफाई से निकले कचरे को परिसर के बाहर उचित स्थान पर डालने व समुचित निस्तारण की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
  30. संस्थान एवं हॉस्टल के कमरों, ओडिटोरियम में सप्ताह में कम से कम एक बार मच्छर मारने हेतु स्वयं के स्तर पर फिनिट का उपयोग करना होगा।
  31. संस्थान एवं हॉस्टल भवन परिसर में स्थित ट्यूब लाईट, पंखे इत्यादि की सफाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करनी होगी।
  32. ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा कि वह सफाई व्यवस्था के लिए लगाये गये सफाई कर्मियों की सूची मय सम्पूर्ण विवरण (संस्थान भवन में 2, नये हास्टल में 2, पावणा हास्टल में 2 एवं चौपाल में 4 सफाई कर्मी) एवं नवीनतम फोटोग्राफ के दो प्रतियों में इस संस्थान को अनुबन्ध करने के समय प्रस्तुत करना होगा, इसके पश्चात समय समय पर होने वाले परिवर्तन की सूची संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध करवाते रहेंगे। जिसकी सूचना पुलिस स्टेशन भेजी जावेगी।
  33. ठेकेदार अपने सभी सफाई कर्मी के सदाचरण के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी सफाई कर्मी द्वारा दुराचरण किये जाने, अभद्र व्यवहार करने अथवा नशे में पाये जाने पर संस्थान द्वारा उसे तत्काल परिसर के बाहर भेज दिया जावेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  34. ठेकेदार को निर्धारित सफाई कार्य हेतु पर्याप्त सफाईकर्मी आवश्यकता अनुसार कम/ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराते हुये आवंटित कार्यों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
  35. सफाई कार्य के दौरान जाने-अनजाने में संस्थान भवन या उसमें स्थित किसी सामान का कोई नुकसान अथवा क्षति पहुंचती है तो इसके संबंध में जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस क्षति की राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी। उक्त राशि तय करने के समय अंतिम निर्णय संस्थान का होगा।
  36. सफाई कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के पश्चात प्रतिमाह चैक द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा। सफाई कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को कटौती किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, कटौती की



- सीमा के संबंध में अंतिम निर्णय महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का होगा।
37. यदि किसी दिन ठेकेदार सफाई व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संस्थान को अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस व्यवस्था में होने वाले व्यय से दुगुनी राशि भुगतान से वसूली योग्य होगी।
  38. ठेकेदार द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था संस्थान की अपेक्षा के अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दें।
  39. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
  40. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में आरंभ करनी होगी अन्य स्थान पर नहीं।
  41. कार्य की दरें अनुसूची "अ" में अंकित करनी होगी।
  42. साप्ताहिक अवकाश ठेकेदार द्वारा ही दिया जावेगा, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
  43. संस्थान एवं हॉस्टल में अलग-अलग सफाईकर्मों कार्य करेंगे। परन्तु संस्थान को आवश्यकता होने पर केयर टेकर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
  44. संस्थान की सम्पूर्ण सफाई एवं हॉस्टल के कमरे, डाईनिंग हाल चोंक गलेरी प्रत्येक कमरे (सम्पूर्ण सफाई) आदि की सफाई प्रातः 9.00 पूर्व पूर्ण करके हॉस्टल वार्डन/केयर टेकर से लिखित में प्रति दिन रिपोर्ट प्राप्त करके बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जावेगा।
  45. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह संस्थान परिसर व चौपाल परिसर का अवलोकन कर ही अपनी दरें अंकित करें।
  46. न्यूनतम निविदादाता का निर्णय संस्थान परिसर, हास्टल व चौपाल परिसर की सफाई हेतु अंकित की गई दरों के कुल योग के अनुसार दिया जावेगा।



अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने पर मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

सफाई व्यवस्था के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता:-  
.....  
.....
2. पैन नं.----- सर्विस टेक्स नं.----- प्रति संलग्न करें ।
3. निविदा शुल्क की रकम राशि रूपये 400/- (चार सौ रूपये) रोकड राशि संख्या .....दिनांक.  
..... द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई है।
4. निविदा सूचना संख्या क्रमांक एफ 4( )ग्राविस/भंडार /2015/ दिनांक  
जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई है, मैं /हम वर्णित समस्त शर्तों का पालन  
करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है  
जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप,  
मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है ।
5. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार राशि रूपये 20,000/- (अकॅन रूपये बीस  
हजार मात्र) नकद की रसीद संख्या..... डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .....दिनांक.....  
बैंक का नाम .....को महानिदेशक, इन्दिरा गांधी  
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पक्ष में देय है, संलग्न है।
6. हम अपनी न्यूनतम दर संलग्न "अनुसूची अ" में अंकित करते है।
7. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की
8. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम व पता.....  
.....
9. साझेदारी की स्थिति में साझेदार का नाम व पता .....  
.....
10. निविदा प्रपत्र एवं अनुसूची "अ" पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी  
फर्म में स्थिति :-  
.....
11. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति भविष्य में पत्र व्यवहार  
करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसी फर्म में स्थिति अंकित करें।
12. दूरभाष नं.:

निविदादाता के हस्ताक्षर मय  
मोहर व पता सहित

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 2

दरों का विवरण

कार्य का नाम:-इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर की सफाई व्यवस्था का कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रति माह की राशि (अंकों व शब्दों में) कुल दर (सभी करों सहित)
1.	संस्थान भवन, के तीनों फ्लोर व परिसर एवं ऑडिटोरियम व संस्थान भवन चारों तरफ रोड़ पार्किंग की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था का कार्य (अवकाश दिवस सहित)	अंको में----- शब्दों में-----
2	दोनों हॉस्टल की तीनों फ्लोर की सम्पूर्ण सफाई का कार्य, हॉस्टल परिसर की सड़क एवं बाहर का पोर्च व समस्त नालिया आदि (अवकाश दिवस सहित) हॉस्टल व संस्थान के सभी टॉयलेट की साफ सफाई कार्य बाथरूम,छत सहित(अवकाश दिवस सहित)	अंको में----- शब्दों में-----
3.	स्टेशन के पास चौपाल भवन, के दोनों फ्लोर व सम्पूर्ण परिसर एवं भवन के चारों तरफ रोड़ पार्किंग की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था का कार्य (अवकाश दिवस सहित) बाथरूम,छत सहित	अंको में----- शब्दों में-----

(दरें समस्त प्रकार के करों सहित मानी जावेगी)

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम  
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित



### चेक लिस्ट

1. रजिस्ट्रेशन नं०
2. सर्विस टेक्स (संलग्न)
3. पैन नं० (संलग्न)
4. राजकीय /स्वायतशाषी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव तीन वर्ष का प्रमाण पत्र
5. शपथ पत्र(क.सं. 9 के अनुसार )10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर
6. टर्न ओवर- न्यूनतम 3 लाख रूपये गत तीन वर्षों का